प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला– जयपुर, थाना– प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष–2023 प्र0सू0रि0 सं. ......43/2023........ दिनांक......18/2/2023

2. (I) **अधिनियमः–** धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018

   (II) अधिनियम .... धारायें ....

   (III) अधिनियम .... धारायें ....

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0....120बी भा0दं0सं0..........

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .... समय ....

(ब) अपराध घटने का दिन– शुक्रवार, दिनांक 17.02.2023 समय 04.10 पीएम (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....10.02.2023........

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– लिखित

5. **घटनास्थलः–** हायर सेकण्डरी चोराहा के पास, टोंक

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–बजानिब दक्षिण, करीब 100 कि0मी0

(ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं.................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ....जिला ......

6. (i)परिवादी /सूचनाकर्ता :–

   (अ) नाम–श्री आबिद नूर खां

   (ब) पिता/पति का नाम– श्री नन्ने खान

   (स) जन्म तिथी– उम्र 42 साल

   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि

   जारी होने की जगह ....

   (र) व्यवसाय– प्राईवेट नौकरी

   (ल) पता– ग्राम राजनगर सांखना, पुलिस थाना मेहन्दवास, जिला टोंक

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहितः–

1. श्रीमती अनिता खीचड़ पत्नि श्री देवेन्द्र सिंह पूनिया जाति जाट उम्र 40 साल, निवासी मोहता धर्मशाला के पीछे, राजगढ पुलिस थाना राजगढ जिला चुरू हाल आयुक्त नगर परिषद जिला टोंक
2. श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री मौहम्मद ईशाक जाति मुसलमान बिस्ती उम्र 59 साल निवासी मकान नं0 21 सिविल लाईन नई कोलोनी, गड्डा पहाड़िया पुलिस थाना कोतवाली जिला टोंक हाल कनिष्ठ लिपिक नगर परिषद जिला टोंक
3. श्री ओमदेव पुत्र श्री मदनलाल नागर जाति धाकड़ उम्र 37 साल निवासी ग्राम विजयनगर पोस्ट रानीपुरा तहसील नगर फोर्ट जिला टोंक हाल सफाई कर्मचारी, नगर परिषद टोंक

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य– कुल 1,00,000/–रू0.....

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

Suresh

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि 10.02.2023 को श्री हिमांशु, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुन ने मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने सामने बेठे हुये एक व्यक्ति से परिवादी श्री आबिद नूर खां के रूप में करवाया। तदुपरान्त परिवादी श्री आबिद नूर खां द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् उपअधीक्षक पुलिस के नाम मार्क करते हुए अग्रीम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश दिये गये। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को अपने कार्यालय कक्ष में लेकर आया और नाम-पता पूछा तो परिवादी ने अपना नाम पता श्री आबिद नूर खां S/o नन्ने खां आयु 43 वर्ष निवासी ग्राम राजनगर सांखना पुलिस थाना मेहन्दवास जिला टोंक का बताया, तदुपरान्त परिवादी श्री आबिद नूर खां के हस्तलिखित प्रार्थना का विस्तार से अवलोकन किया गया जिसमें परिवादी ने लिखा है कि "सेवा में श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय्, ACB JAIPUR विषय:-रिश्वत मांगने पर कार्यवाही करने बाबत् महादेय निवेदन है कि मेरी फर्म Nk Films And Event Company के नाम से रजि0 है। मै अपनी फर्म के माध्यम से Event संबंधित विडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कार्यक्रम आयोजन एवं व्यवस्था करने का कार्य करता हूं। मैने मेरी फर्म के मार्फत बनास महोत्सव में कार्यालय नगर परिषद टोंक के आदेश क्रमांक 15703 दि0 21.12.2022 के आदेशानुसार टोडारायसिंह एवं बिसलपुर में 1 दिवस का विडियो एवं फोटोग्राफी का कार्य किया था जिसका बिल 1.90 लाख नगर परिषद टोंक मे बकाया है। उक्त बिल के भूगतान के लिए श्रीमती अनीता खीचड़ आयुक्त नगर परिषद टोंक से मिला तो उन्होने मेरी फर्म द्वारा न0प0 टोंक में बनास महोत्सव टोंक में विडियोग्राफी, स्टेज कार्यक्रम, फोटोग्राफी एवं अन्य कार्य किया गया था। जिसके कुल बिल 9.60 लाख का हुआ था, जिसका GST काटकर मुझे 9.20 लाख मिले, उक्त पूर्व में बिल के भूगतान की एवज में श्रीमती अनीता खीचड़ आयुक्त नगर परिषद टोंक ने मेरे से 1 लाख (एक लाख) रू0 रिश्वत की राशि की मांग की तथा श्रीमती अनीता खीचड़ ने कहा की एक लाख रू0 रिश्वत की राशि दोगे तभी आपके बकाया बिल तैयार कर बिल का भूगतान किया जायेगा। श्रीमती अनीता खीचड़ मेरे नगर परिषद टोंक में कार्यरत परिचित श्री सलीम को बोलकर फोन करने को कहती है और वह मुझे Call करके नगर परिषद टोंक में कमीश्नर मैडम श्रीमती अनीता खीचड़ से मिलने के लिए कहता है। मै आयुक्त मैडम से कई बार मिलकर मेरे पैडिंग बिल का भूगतान करने के लिए निवेदन कर चुका है। परन्तु उसके द्वारा मेरे द्वारा पुर्व में किये गये कार्यो के बिलो के हुए भूगतान की एवज में 1 लाख रू0 रिश्वत की राशि की मांग कर रही है। मै रिश्वत की राशि की मांग कर रही है। मै रिश्वत की राशि नही देना चाहता हूं। मै श्रीमती अनीता खीचड़ को रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। कार्यवाही करने का श्रम करे। SDआबिद, आबिद नूर खां S/o नन्ने खां आयु 43 वर्ष निवासी ग्राम राजनगर सांखना जिला टोंक मो0नं0 8619095539 दि. 10.2.23" मन् उपअधीक्षक पुलिस को परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा हस्तलिखित है, जिस पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मेरी श्रीमती अनिता खीचड़, आयुक्त, नगर परिषद टोंक से किसी प्रकार की कोई रजिंश व रूपयो पैसो का लेन-देन नही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री आबिद ने बताया कि मै आज ही श्रीमती अनीता खीचड़, आयक्त, जिला परिषद टोंक से उनके कार्यालय में मिलकर मेरे बकाया बिल के भूगतान के सम्बंध में मिलुंगा और वह मेरे से रिश्वत की मांग कर सकती है। इसलिए आज रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हो सकने की संभावना है जिस पर परिवादी श्री आबिद नूर खां को ब्यूरो द्वारा करवाई जाने वाली रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के विषय में अवगत कराते हुये कार्यालय के श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी व कानि0 का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् कार्यालय के श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि नं0 99 से कार्यालय के मालखाना से एक विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय एक नया मैमोरी कार्ड Sand disk Ultra 32 GB मंगवाया जाकर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई गई। तत्पश्चात् श्री प्रदीप कुमार कानि0 को उक्त वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ जाकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराने की मुनासिब हिदायत दी गई एवं परिवादी के निजी वाहन

से सत्यापन की कार्यवाही हेतु परिवादी के साथ टोंक के लिए रवाना किया गया। समय 9.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 उपस्थित होकर वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर अवगत कराया कि मै ब्यूरो कार्यालय से परिवादी के साथ रवाना होकर समय करीबन 2.30 पीएम पर नगर परिषद टोंक के कार्यालय के पास पहुंचे, परिवादी ने मुझे बताया कि लंच टाईम मेडम अनिता खीचड़ कार्यालय से बाहर चली जाती है। इस पर तीन बजे के आस-पास ही कार्यालय में जाउंगा। तत्पश्चात् समय करीबन 03.04 पीएम पर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध में हिदायत देकर वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर संदिग्ध से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना कर उसके पीछे-पीछे कार्यालय नगर परिषद टोंक के पास पहुंचा। परिवादी नगर परिषद के भवन में प्रवेश कर गया। मै अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए कार्यालय के पास ही मुकीम हो गया। कुछ समय बाद परिवादी नगर परिषद के कार्यालय से बाहर आकर पुर्व से निर्धारति स्थान पर मेरे से मिला और वाईस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया, जिसे मैने बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात् परिवादी ने मुझे बताया कि ''मै मेडम से मिला तो मैंने उनको मेरी परेशानी के बारे में बताया तो मैडम ने कहा कि किसी अन्य क्यो दो, मेरे साईन मै करूंगी और उन्होंने मेरे द्वारा किये गये विडियोग्राफी व फोटोग्राफी के डॉक्युमेंटेशन की मांग की तथा मेरे द्वारा रिश्वत की राशि कम करने के लिए कहा गया तो उन्होने साफ इन्कार किया और उन्होने बारगेनिंग नही करने के लिए कहा है और मैंने उनको अस्सी हजार रूपये रिश्वती राशि तय करने के लिए कहा तो उन्होंने रिश्वती राशि कम करने से मना कर दिया है तथा उक्त रिश्वती राशि सलीम को देने के लिए कहा है। मेरे द्वारा मंडे को देने की कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी मर्जी हो जब आ जाना'' बताया। परिवादी ने कहा कि मुझे बिजनेस के सिलसिले में काम है, इसलिए आपके साथ मै जयपुर नहीं जा सकता और मुझे जब भी कार्यालय में बुलाओगें तो मै कार्यालय में आ जाउंगा। तत्पश्चात् मै रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आया। मन् उपअधीक्षक पुलिस द्वारा वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो कानि0 द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से श्रीमती अनिता खीचड़ द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करने सम्बंधित तथ्यो की पुष्टि होती है। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में तालाबंद किया। दिनांक 14.02.2023 समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री आबिद नूर खां मन उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आकर बताया कि मै दिनांक 10.02.2023 को कानि0 श्री प्रदीप कुमार के साथ रिश्वत मांग सत्यापन के लिये जाकर श्रीमती अनिता खीचड़ मैडम से मिला तो मैंने उनसे नमस्ते किया तो उन्होंने नहीं आने का करण पूछा तो मैंने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया था। मैंने किसी अन्य का नाम लेकर अप्रत्यक्ष रूप से रूपये लेने के संबंध में परेशान करने का बताया तो उन्होंने कहा कि किसी को क्यो दो, मेरे साईन मै करूंगी और उनके साईन वो करेंगे। उन्होंने मेरे द्वारा किये गये विडियोग्राफी व फोटोग्राफी के डॉक्युमेंटेशन देने के संबंध में कहा तथा मेरे द्वारा रिश्वत की राशि कम करने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इन्कार किया और उन्होने बारगेनिंग नही करने के लिए कहा है और मैंने उनको अस्सी हजार रूपये रिश्वती राशि करने के लिए कहा तो उन्होंने रिश्वती राशि कम करने से मना किया तथा उक्त रिश्वती राशि सलीम को देने के लिए कहा है। मेरे द्वारा मंडे को देने की कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी मर्जी हो जब आ जाना''। इस प्रकार परिवादी ने दिनांक 10.02.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में कानि0 के द्वारा बताये गये कथनों व रिकॉर्डेड मांग सत्यापन वार्ता के तथ्यों से पुष्टि होती है। परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को रिश्वत राशि के एक लाख रूपये लेकर आने के बारे में कहा गया तो परिवादी ने टोंक आने पर जरिये फोन वार्ता कर बताने के लिये कहा गया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 16.02.2023 को समय 7.30 पीएम पर मन अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री आबिद नूर खां ने बताया कि मै आज रात को टोंक पहुंच जाऊंगा। कल दिनांक 17.02.2023 को श्रीमती अनिता खीचड़ को रिश्वती राशि देने के लिये जाऊंगा। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को रिश्वत की राशि के एक लाख रूपये की व्यवस्था के लिये कहा तो परिवादी ने कहा कि मै सुबह रिश्वती राशि के एक लाख रूपये की व्यवस्था कर लूंगा। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 17.02.2023 को ट्रेप कार्यवाही के आयोजन का निर्णय लिया गया तथा कार्यालय के श्री प्रदीप कुमार को दिनांक 17.02.2023 को सुबह जल्दी ही टोंक जाकर परिवादी से मिलकर श्रीमती अनिता खीचड़ के कार्यालय में आने अथवा नहीं आने के बारे में मालूम कर सूचित करने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 17.02.2023 को की जाने वाले गोपनीय

Sureh

कार्यवाही के संबंध में उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन किये गये तथा कार्यालय स्टाफ को एवं पूर्व से पाबन्ध शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहो को भी दिनांक 17.02.2023 को कार्यालय समय पर ब्यूरो कार्यालय में आने की हिदायत की गई। दिनांक 17.02.2023 कार्यालय समय पर समस्त कार्यालय स्टाफ कार्यालय व दोनो स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित हो चुके है, अतः आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वाणिज्य कर विभाग से कार्यालय हाजा में उपस्थित स्वतन्त्र गवाह से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री जुगवीर सिंह उम्र 39 साल निवासी प्लाट नं0 39, अरिहन्त वाटिका-सी, हीरापुरा पावर हाउस के पीछे, धावास, अजमेर रोड़, जयपुर हाल अति0 प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त, वृत्त-ई, वाणिज्य कर विभाग संभाग तृतीय, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर व दूसरे ने अपना नाम श्री राजकुमार तेवतिया पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह तेवतिया, उम्र 27 साल निवासी ग्राम पिपलहेड़ा पोस्ट तिघरिया, पुलिस थाना हिण्डोन सिटी, जिला करौली हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त-एन, वाणिज्य कर विभाग संभाग तृतीय, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर होना बताया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय कार्यवाही में सम्मिलित होने बाबत सहमति चाही तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अलग-अलग अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढवाया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.25 एएम पर श्री प्रदीप कुमार कानि. ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मै ब्यूरो कार्यालय जयपुर से आज सुबह 7 बजे रवाना होकर टोंक पहुंचा जहां पर परिवादी श्री आबिद नूर खां से मिला तथा उसको साथ लेकर नगर परिषद कार्यालय जिला टोंक के पास पहुंचा, जहां पर गोपनीय तरीके से श्रीमती अनिता खीचड़ के नगर परिषद कार्यालय में उपस्थित होने के बारे में मालूमात की तो कार्यालय में ही उपस्थित होने के बारे में पता चला है। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां, नये गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त कार्यवाही में साथ ले जाने वाले ट्रेप बॉक्स को अच्छी तरह से साफ करवाया जाकर उसमें उक्त सामान रखवाया गया। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन में काम में लिये गये वॉईस रिकॉर्डर व मैमोरी कार्ड SanDisk Ultra 32 GB एवं एक नया मैमोरी कार्ड SanDisk Ultra 32 GB वास्ते रिश्वत लेन-देन वार्ता में उपयोग में लिये जाने हेतु हमराह लिया। श्री राजेन्द्र हैडकानि0 51 को फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी व एक साफ कांच का गिलास को उसके प्राईवेट वाहन की डेस्क में रखवाकर मुनासिब हिदायत दी गई। समय 11.45 एएम पर श्री हिमांशु अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर के निर्देशन में मन् उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी, मय श्री राजेन्द्र हैडकानि0 नं0 51 व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विरेन्द्र सिंह व श्री राजकुमार तेवतिया निजी वाहन, श्री ब्रहमप्रकाश हैडकानि. 99, श्रीमती पिंकी कंवर म0कानि0 11, श्रीमती रजनी म0 कानि0 नं0 127, श्री मनीष कुमार कानि. 315, श्री सुभाष चन्द कानि0 नं0 592, श्री नमोनारायण कानि. 453 जरिये प्राईवेट टैक्सी व सरकारी वाहन नं. आरजे 14 यूडी 1391 चालक श्री रूपेश कानि0 नं0 607 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर से टोंक की ओर रवाना हुये। समय 1.10 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी, मय श्री राजेन्द्र हैडकानि0 नं0 51 व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री विरेन्द्र सिंह व श्री राजकुमार तेवतिया मय समस्त ट्रेप टीम के परिवादी श्री आबिद नूर खान द्वारा बताये गये होटल उतरायण के पास, सोहेला जिला टोंक पहुंचा। जहां पर मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी व कानि0 श्री प्रदीप कुमार मौजूद मिले। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान श्री विरेन्द्र सिंह व श्री राजकुमार तेवतिया का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 1.15 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री विरेन्द्र सिंह व श्री राजकुमार तेवतिया के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री आबिद नूर खां पुत्र स्व0 श्री नन्ने खां उम्र 42 साल निवासी ग्राम राजनगर सांखना, पुलिस थाना मेहन्दवास, जिला टोंक को संदिग्ध श्रीमती अनिता खीचड़, आयुक्त, नगर परिषद टोंक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया, जिस पर परिवादी श्री आबिद नूर खान ने अपने पास से 500-500 रूपये के 200 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 1,00,000/-रूपये निकालकर, गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, उक्त नोटों के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया।

उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 1,00,000/-रूपये पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी श्री आबिद नूर

Suresh

[redacted]

खां के समक्ष श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. नं. 51, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर ने हमराह निजी कार के डेस्क बोर्ड में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर कार की बीच की सीट पर एक अखबार बिछाकर उस पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री आबिद नूर खां की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन श्री विरेन्द्र सिंह से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त नोट सीधे ही श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. से परिवादी श्री आबिद नूर खां की पहनी हुई पेन्ट की आगे की तरफ की बांयी जेब में पांच-पांच सौ के सौ नोट कुल पचास हजार रूपये व दांयी जेब में पांच-पांच सौ के सौ नोट कुल पचास हजार रूपये रखवाये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् उपअधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414217254 पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा करें एवं रिश्वत राशि को कहां रखता है यह भी ध्यान रखें। साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये कांच के एक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेंगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था, को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. से गुलाबी घोल को कार से बाहर फिकवाकर फिनोल्पथलीन पाउडर की शीशी को वापस कार के डेस्क बोर्ड में रखवाकर श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. के हाथों को तथा गिलास को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर गिलास को भी कार की डेस्क बोर्ड में रखवाया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में एक नया मैमोरी डालकर श्री प्रदीप कानि. नं0 245 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। संदिग्ध को दी जानी वाली रिश्वती राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि. मय फिनोफ्थलीन पाउडर व दृष्टांत हेतु काम में लिए गये गलास के उनके निजी वाहन के ब्यूरो मुख्यालय जयपुर रवाना किया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हस्ब कायदा मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये।समय 2.35 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी मय स्वतंत्र गवाहान, मय समस्त ट्रेप टीम जरिये सरकारी वाहन, प्राईवेट टैक्सी के कार्यालय नगर परिषद टोंक के लिए रवाना हुये साथ ही श्री प्रदीप कुमार कानि0 को परिवादी श्री आबिद नूर खान के साथ उसके निजी वाहन से कार्यालय नगर परिषद टोंक के लिये रवाना किया गया। दर्ज रहे कि कार्यालय नगर परिषद, टोंक के पास पहुंचकर परिवादी श्री आबिद नूर खां को वक्त करीब 3.02 पीएम पर श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 द्वारा परिवादी की कार में विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया जाकर पैदल ही परिवादी को रिश्वती राशि देने हेतु संदिग्ध के कार्यालय नगर परिषद, टोंक में रवाना किया गया था, जो कुछ समय पश्चात नगर परिषद कार्यालय के अन्दर चला गया। मन् सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, टीएलओ मय ट्रेप टीम व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय नगर परिषद, टोंक के आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुये ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में

Suresh

मुकिम हुये। समय करीब 3.37 पीएम पर परिवादी एक अन्य व्यक्ति के साथ नगर परिषद कार्यालय से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर घण्टाघर से कलेक्ट्रेट, टोंक की ओर रवाना हुआ। जिस पर मन् टीएलओ मय ट्रेप टीम व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को सरकारी जीप व प्राईवेट वाहन से परिवादी की कार के पिछे-पिछे रवाना हुआ। समय करीब 3.48 पीएम पर परिवादी अपनी कार को हायर सैकण्डरी चौराहा, सरस डेयरी के नजदीक रोक दी। मन् टीएलओ मय टीम अपनी पहचान छुपाते हुये सरस डेयरी के पास मुकिम हुये। परिवादी व उसके साथ आया अन्य व्यक्ति कार से नीचे उतरकर सरस डेयरी के पास रखी बेंच पर बैठ गये। कुछ समय पश्चात उनके पास मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति आया और उनके पास बैच पर बैठ गया। करीब 10-12 मिनट पश्चात परिवादी अपनी कार में अकेला ही बैठ कर कार को डिपो रोड़ की तरफ ले गया और उसकी कार के पिछे पिछे ही उनके पास आया व्यक्ति अपनी मोटरसाईकिल को लेकर रवाना हुआ तथा करीब 150-200 मीटर की चलने पर मोटरवाईकिल पर आये व्यक्ति ने परिवादी की कार को रूकवाया। मोटरसाईकिल से उतर कर परिवादी की कार में ड्राईवर सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर पश्चात माटरसाईकिल चालक कार से बाहर निकलकर अपनी मोटरसाईकिल से पुनः हायर सेकण्डरी चोराहा, सरस डेयरी की ओर रवाना हुआ। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी द्वारा श्री प्रदीप कानि. से जरिये मोबाईल सम्पर्क में रहकर समय-समय पर वस्तु स्थिति एवं लेन-देन के संबंध में अवगत कराया जाता रहा। समय करीब 4.10 पीएम पर परिवादी ने मन् टीएलओ व जाप्ता को निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् टीएलओ व आस पास खड़े ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेते हुए मोटरसाईकिल चालक को रूकवाकर नाम पूछा तो उसने अपना नाम ओमदेव बताया तथा रूपयों के बारे में पूछा तो रूपये अपनी पहनी शर्ट की बांई जेब में होना बताया जिसपर सरसरी तौर पर जेब के उपर हाथ लगाकर देखा तो उक्त व्यक्ति की शर्ट की उपर की जेब में रूपये रखे होना जाहिर हुआ। तत्पश्चात मन् टीएलओ द्वारा पास में अपनी कार में बैठे हुये परिवादी आबिद नूर खां से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। संदिग्ध ओमदेव को डिटेन कर विभागीय परिचय देकर हमराह कार में बैठाया जाकर तस्सली देकर पूछा तो उसने बताया कि ये रूपये मैने सलीम जी के कहने पर आबिद नूर खां से लिये है। मुझको पता नही कि ये रूपये किस काम के लिए है तथा मेरे को क्यों दिलवाये है। तत्पश्चात समय करीब 4.18 पीएम पर ओमदेव के बताये अनुसार सरस डेयरी के पास बैठे एक व्यक्ति को डिटेन कर नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद सलीम बताया जिसको विभागीय परिचय देकर सरकारी वाहन में बैठाकर कार्यालय नगर परिषद, टोंक के लिए रवाना हुये। समय करीब 4.30 पीएम पर मन् टीएलओ मय दोनो संदिग्ध व्यक्ति ओमदेव व मोहम्मद सलीम व ट्रेप टीम के सरकारी व प्राईवेट वाहन से कार्यालय नगर परिषद, टोंक पहुंचे। कार्यालय, नगर परिषद, टोंक में पहुंचे तो आयुक्त के कार्यालय कक्ष के बाहर नेम प्लेट पर आयुक्त अनिता खीचड़ लिखा हुआ है जिसके गेट को खोलकर मन् टीएलओ मय टीम व दोनो संदिग्ध व्यक्तियों को लेकर कक्ष के अन्दर प्रवेश किया तो मैन सीट पर एक महिला बैठी हुई मिली जिसको महिला गरीमा को ध्यान में रखते हुये हमराह महिला कानि. श्रीमती पिंकी कंवर व श्रीमती रजनी मीणा की उपस्थित में अपना व ब्यूरो टीम का विभागीय परिचय देकर नाम पूछा तो उस महिला ने अपना नाम अनिता खीचड़, आयुक्त, नगर परिषद, टोंक बताया। तत्पश्चात दोनो संदिग्ध व्यक्तियों से उक्त महिला को रूबरू करवाते हुये रिश्वत के एक लाख रूपयों के बारे में पूछा तो उक्त महिला श्रीमती अनिता खीचड़ ने रूपये स्वयं के लिए लेने से साफ इन्कार किया। हमराह श्री मोहम्मद सलीम को नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद सलीम पुत्र श्री मौहम्मद ईशाक जाति मुसलमान बिस्ती उम्र 59 साल निवासी मकान नं0 21 सिविल लाईन नई कोलोनी, गड्डा पहाड़िया पुलिस थाना कोतवाली जिला टोंक हाल कनिष्ठ लिपिक नगर परिषद जिला टोंक बताया, संदिग्ध श्री मोहम्मद सलीम के मोबाईल फोन विवो कम्पनी, पासवर्ड 9633, रंग ब्लेक व मेहरून, आईएमईआई नं. 860183048173838, मो.नं. 9462143391, जीओ कम्पनी की सिम है, को कब्जा एसीबी लिया गया। दुसरे संदिग्ध व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम ओमदेव नागर पुत्र श्री श्री मदनलाल नागर जाति धाकड़ उम्र 37 साल निवासी ग्राम विजयनगर पोस्ट रानीपुरा तहसील नगर फोर्ट जिला टोंक हाल सफाई कर्मचारी, नगर परिषद टोंक बताया जिसके मोबाईल फोन, ओपो कम्पनी, रंग सिल्वर, आईएमईआई नं. 868896055556239, पासवर्ड 258666 है, जिसके अन्दर मो.नं. 9828525990, एयरटेल कम्पनी की सिम है, को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात श्रीमती अनिता खीचड़ से नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम अनिता खीचड़ पत्नि श्री देवेन्द्र सिंह पूनिया जाति जाट उम्र 40 साल, निवासी मोहता धर्मशाला के पीछे, राजगढ पुलिस थाना राजगढ जिला चुरू हाल आयुक्त नगर परिषद जिला टोंक

बताया जिसके मोबाईल एप्पल आईफोन, रंग सफेद जिस पर परपल कलर का प्लास्टिक कवर लगा हुआ है, अनलॉक पासवर्ड 2511, मोबाईल नं. 9982047288 है तथा जीओ कम्पनी की सिम है, उक्त सभी मोबाईलों को अनुसंधान के प्रायोजनार्थ फ्लाइट मोड पर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। कार्यालय में उपस्थित श्रीमती अनिता खीचड़ से परिवादी के पैण्डिग कार्य की पत्रावलीयों के बारे में पूछा गया तो श्रीमती अनिता खीचड़ ने परिवादी के पैण्डिग कार्य से संबंधित उक्त पत्रावलियां मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लिपिक के पास होना बताया जिस पर श्री मोहम्मद सलीम को साथ लेकर उसके कार्यालय से परिवादी के कार्य से संबंधित तीन मूल पत्रावलीयां व परिवादी द्वारा दिनांक 17.02.2023 को संदिग्ध मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लिपिक को दी गई एक हार्डडिस्क, 1 टीबी प्राप्त की गई। उपरोक्त तीनों पत्रावलीयों को व हार्डडिस्क को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। जिनकी पृथक से फर्द जब्ती अभिलेख तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। चूंकि उक्त स्थान काफी संवेदनशील व भीड़-भाड़ वाला है तथा यहां पर सम्पूर्ण कार्यवाही किया जाना सुरक्षा की दृष्टी से उचित प्रतित नही होने पर श्रीमती अनिता खीचड़, दोनो संदिग्ध व्यक्तियों श्री मोहम्मद सलीम, ओमदेव नागर मय स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप टीम को हमराह लेकर समय 4.40 पीएम पर सरकारी व प्राईवेट वाहनो से कार्यालय नगर परिषद, टोंक से पुलिस थाना, सदर टोंक के लिए रवाना हुये। समय करीब 4.50 पीएम पर मन् टीएलओ मय हमराहीयान के पुलिस थाना सदर, टोंक पहुंचकर आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी श्री आबिद नूर खां ने बताया कि रिश्वत की राशि मेरे से सीधे ओमदेव ने ही प्राप्त की थी अतः संदिग्ध आरोपिया श्रीमती अनिता खीचड़ एवं श्री मोहम्मद सलीम के हाथो के धोवन की आवश्यकता नही होने पर शेष संदिग्ध श्री ओमदेव नागर के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये साफ कांच के गिलास निकलवाकर, जग में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर कांच के गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग के रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् कांच के गिलास के तैयारशुदा घोल में श्री ओमदेव नागर के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग झांईनुमा हो गया जिसे समस्त हाजरिन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को झांईनुमा होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दुसरे तैयार शुदा कांच के घोल में श्री ओमदेव नागर के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग झांईनुमा हो गया। जिसे समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को झांईनुमा होना स्वीकार किया। जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् संदिग्ध श्री ओमदेव नागर की शर्ट की जेब में रखे रिश्वत के रूपयों को बाहर निकलवाया तो उक्त नोट एक अखबार में लिपटे हुये मिले जिनको देखा गया तो अखबार में पांच-पांच सौ रूपयों की दो गड्डिया मिली जिनको सरसरी तौर पर स्वतन्त्र गवाहान से गिनवाया गया तो कुल एक लाख रूपये हुये। संदिग्ध श्री ओमदेव नागर की शर्ट की जेब व अखबार का धोवन लिया जाना आवश्यक होने पर संदिग्ध ओमदेव नागर के लिए दुसरी शर्ट मंगवाई गई तथा पहनी हुई शर्ट को खुलवाकर उसके उपर की जेब का धोवन लेने की प्रकिया शुरू की गई जिस हेतु ट्रेप बॉक्स मे से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर, जग में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर कांच के गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग के रंगहीन होना स्वीकार किया।

तत्पश्चात संदिग्ध श्री ओमदेव की शर्ट की उपर की जेब का धोवन लेने के लिए शर्ट के जेब को उल्ट कर तैयार शुदा घोल में डुबोया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क S-1 व S-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। शर्ट के जेब को सुखाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शर्ट को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क S अंकित कर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात अखबार जिसमें रिश्वत राशि को लपेटा हुआ था का धोवन लेने के लिए एक कपड़े की चिन्दी से उपरोक्त अखबार पर रगड़कर उपरोक्त दुसरे कांच के गिलास के

तैयारशुदा घोल में चिंदी को डुबोकर धुलवाया गया तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क C-1 व C-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। कपडे की चिन्दी को सुखाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क NC अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। अखबार का निरीक्षण किया गया तो अखबार पर दैनिक भास्कर, राजस्थान, जयपुर, शुक्रवार 17 फरवरी 2023 पेज सं. 01, 02, 07 एवं 08 लिखा हुआ है, उक्त अखबार को सुखाकर, संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर, एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क N अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री ओमदेव नागर के शर्ट की जेब से बरामद की गई रिश्वत राशि को गवाहान से चैक कर गिनवाया गया तो उसमें पांच-पांच सौ रूपये की दो गड्डीयां मिली, जिनमें प्रत्येक में पांच-पांच सो रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के 100-100 नोट, कुल 200 नोट, कुल राशि 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये मात्र) मिले। जिन्हे पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोलफ्थलीन पाउडर में अंकित नम्बरो से मिलान करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट होना पाए गए जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	विवरण नोट	नोट के नम्बर
1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6DN240119
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6DN240122
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6DN240121
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6DN240120
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3GE893712
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9MD192713
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3BU948660
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6CG209130
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2KU528927
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0FQ648192
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2TW217545
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1DB919900
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6CB529772
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1UH272308
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2MV867721
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4AS698675
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6SV256654
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9CW132951
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4ME642521
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9VN892036
21.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1PK657084
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8AC561564
23.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6NL601394
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7RW570395
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7ER477623
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5AU507625
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9GU034329
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2GP097873
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3MU713120
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4CH387139

Suresh

[redacted]

31.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1GR805637
32.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6PL097004
33.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9ER441107
34.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2KN652889
35.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9DC298071
36.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6NG323488
37.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5ND114161
38.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7FA706152
39.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1KE539815
40.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7FW868893
41.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8WP325683
42.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5AA060540
43.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4VD204701
44.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7CF685812
45.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4NF554396
46.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9CP209874
47.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3DA511964
48.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3AW572597
49.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1VU988077
50.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3LT295858
51.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3LT295857
52.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3LT295856
53.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3LT295855
54.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1NG755124
55.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6WQ853263
56.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6LB198367
57.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2GH219183
58.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9BC354952
59.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3EV526715
60.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7NA702610
61.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3EV526714
62.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3DU687534
63.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1LK453871
64.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6SL560597
65.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0FT319061
66.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1AV144231
67.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1FU730518
68.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6HT144668
69.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6HT144667
70.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5PN305142
71.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1BA934647
72.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8ED430887
73.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0UH848860
74.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7NB012301
75.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3UD803697

76.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4HQ686743
77.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1AT806308
78.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3FC285062
79.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9PP713082
80.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0AS908705
81.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1UD445064
82.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0WF622068
83.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8CD168592
84.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2CA605321
85.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7ME071799
86.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1DD930451
87.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4UM996707
88.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3ES428484
89.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4KP563868
90.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6DG580892
91.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9BD395037
92.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8EE279249
93.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3EU067218
94.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4CQ822482
95.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5BK229797
96.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9AP010723
97.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8PN358938
98.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4EM396918
99.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5NN097171
100.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5EE642800
101.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4PB115112
102.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4MP429292
103.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4GC185304
104.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9LH269203
105.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7LG957018
106.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3HW321720
107.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1WQ384448
108.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2UE691237
109.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2NC594207
110.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0TF128134
111.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2AU574639
112.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0CU925620
113.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6BD158472
114.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1NF379668
115.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3BE655847
116.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6AU255490
117.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7CN588924
118.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3DA160010
119.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8DN519955
120.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6SS949185

121.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4NC670933
122.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4HT853764
123.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4QU204204
124.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6BC871858
125.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2CS812424
126.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4PL215462
127.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2CB400798
128.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2EP097219
129.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4BQ502120
130.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4LC448000
131.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5WV238117
132.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5DH914990
133.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3HQ962388
134.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8CQ374881
135.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2HW747517
136.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2EC620867
137.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4LL090499
138.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7PP329734
139.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3KR908517
140.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9BN857551
141.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6RW135368
142.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2KV086575
143.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5EE721381
144.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1MG389606
145.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7SB685176
146.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4UK648580
147.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5HK378305
148.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5FG868606
149.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4FQ457022
150.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7CD426432
151.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0KS684206
152.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2FF244108
153.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3TL569637
154.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9LS882296
155.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0BF700459
156.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7NV032861
157.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0KL796184
158.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0HH264143
159.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9RQ588265
160.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3VG792956
161.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6HC110156
162.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2DC324135
163.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1UK440748
164.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4GE897859
165.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4GE897860

166.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7EP516083
167.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7EP516082
168.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5AQ006901
169.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2DG849643
170.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1DS058918
171.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1DH218033
172.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9GB296801
173.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6NC803643
174.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0DC997461
175.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3HR557542
176.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6BV997996
177.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1BN092829
178.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4UM989050
179.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4DQ864998
180.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5SU432834
181.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8LB232587
182.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3CR700630
183.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6VQ307583
184.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2NC702649
185.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2NC702650
186.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2NC702651
187.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7TM190004
188.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9MG376905
189.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9UB551063
190.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5SP235902
191.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9MT411552
192.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5HK860478
193.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1QS053133
194.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2FT205380
195.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1FA284563
196.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1FA284564
197.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1FA284566
198.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1FA284529
199.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1FA284562
200.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6DN240245

बरामद शुदा उपरोक्त रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नम्बरी नोटो को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर शील्ड मोहर कर मार्क "M" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। उपरोक्त रिश्वती राशि एक लाख रूपये के बारे में श्रीमती अनिता खीचड़, आयुक्त, नगर परिषद, टोंक से पूछा गया तो उसने बताया कि माह दिसम्बर 2022 में टोंक जिले में बनास महोत्सव में फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, स्टेज कार्यक्रम आदि के आयोजन का कार्य फर्म एन.के. फिल्मस एण्ड इवेन्टस कम्पनी को आवंटन हुआ था। उक्त कार्य की एवज में उक्त फर्म का कुल 9.60 लाख रूपये के दो बिल बने थे। जिसका भुगतान नगर परिषद, टोंक द्वारा किया जा चुका है। मेरे पास इसका कोई बिल पैण्डिग नही था व ना ही मेरे पास इसका कोई काम पैण्डिग है। श्री आबिद नूर खां उक्त प्रोग्राम के फोटो, डिवीडी, विडियों व डोक्यूमेन्ट्री नही

Suresh

दे रहा था इसलिए मैने मेरे कार्यालय के बाबू सलीम को डोक्यूमेन्ट्री व हार्ड डिस्क मंगवाने के लिए कहा था। यह एक दो बार पहले भी मेरे पास आया था, उस समय मैने आबिद नूर खां से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की, आज भी ये मेरे पास ऑफिस में आया था लेकिन मैने आज भी इसको डिवीडी, फोटो, रिकॉर्ड, हार्ड डिस्क मेरे कार्यालय के बाबू सलीम को देने के लिए कहा था, मैने इससे रिश्वत राशी की मांग नही की है। जिस पर परिवादी श्री आबिद नूर खां ने कहा कि मै दिनांक 10.02.2023 को मेरे बिलों के भुगतान के संबंध में नगर परिषद, टोंक में श्रीमती अनिता खीचड़, आयुक्त के पास आया था इन्होने मेरे से एक लाख रूपये रिश्वती की मांग करके श्री मौहम्मद सलीम कनिष्ठ लिपिक को देने के लिए कहा था, जिस पर मै आज दिनांक 17.02.2023 को इनके पास आया तो इन्होने मेरे से एक लाख रूपये व टोडारायसिंह एवं बीसलपुर के इवेंट के फुटेज आदि मौहम्मद सलीम को देने के लिए कहा था जिस पर इनके कार्यालय का बाबू सलीम जी मेरे साथ मेरी कार में बैठकर हायर सैकण्डरी चोराहा, टोंक पर स्थित सरस डेयरी पर गया था तथा कुछ समय पश्चात वहां पर ओमदेव नागर भी आ गया जो सलीम के कहने पर मेरी कार के पिछे-पिछे डिपो की ओर जाकर, मेरी कार को रूकवाकर मेरे को एक अखबार देकर उसके उक्त रिश्वती राशि लपेटकर देने के लिए कहा था जिस पर मैने एक लाख रूपये ओमदेव नागर को दिये थे, जो आपने ओमदेव नागर से बरामद कर लिये है। उक्त के संबंध में श्रीमती अनिता खीचड़ को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई दिनांक 10.02.2023 की मांग सत्यापन वार्ता एवं आज दिनांक को श्रीमती अनिता खीचड़ एवं परिवादी आबिद नूर खां के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन की वॉइस क्लिप्स को सुनाया गया तो श्रीमती अनिता खीचड़, आयुक्त ने नजर नीचे झुकाते हुये भावुक होकर कहा कि मेरे से गलती हो गई। अतः श्रीमती अनिता खीचड़, आयुक्त नगर परिषद, टोंक के विरूद्ध लोक सेवक के पद पर होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों को दुरूपयोग कर परिवादी के वैध कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण प्राप्त किया जाना पाया गया है। श्रीमती अनिता खीचड़, आयुक्त नगर परिषद, टोंक को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में दिनांक 10.02.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज एवं रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 17.02.2023 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर श्रीमती अनिता खीचड, आयुक्त ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। अब तक की कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती अनिता खीचड़ पत्नि श्री देवेन्द्र सिंह पूनिया जाति जाट उम्र 40 साल, निवासी मोहता धर्मशाला के पीछे, राजगढ पुलिस थाना राजगढ जिला चुरू हाल आयुक्त नगर परिषद जिला टोंक द्वारा अन्य आरोपीगण मोहम्मद सलीम व ओमदेव नागर से आपस में मिलीभगत कर लोक सेवक के पद पर होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों को दुरूपयोग कर परिवादी श्री आबिद नूर खां की फर्म एन.के. फिल्म्स एण्ड इवेन्टस कम्पनी को बनास महोत्सव टोंक में किये गये कार्य का कुल रूपये 9.60 लाख का पूर्व में किये जा चुके भुगतान एवं टोडारायसिंह एवं बिसलपुर डेम पर एक दिवसीय बनास महोत्सव में किये गये कार्य का बिल 1.90 लाख रूपये के बिल तैयार कर भुगतान करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.02.2023 को एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में आज दिनांक 17.02.2023 को परिवादी से अपने कार्यालय के श्री मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लिपिक व सफाई कर्मचारी ओमदेव नागर से मिलीभगत कर रिश्वती राशी 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये मात्र) आरोपी श्री मोहम्मद सलीम के मार्फत श्री ओमदेव नागर को दिलवाना जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भा.द.स. प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपिया श्रीमती अनिता खीचड़, आयुक्त को उपरोक्त धाराओं में नियमानुसार पृथक से जरिये फर्द गिरफतार किया गया।

तदुपरान्त आरोपी श्री मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लिपिक से आरोपी ओमदेव नागर से बरामद की गई रिश्वत राशि एक लाख रूपयों बारे में पूछताछ की गई तो श्री मोहम्मद सलीम ने बताया कि मैने परिवादी आबिद नूर खां से कभी भी रूपयों की मांग नही की तथा ना ही मैने आज इनसे रूपये लिये है, आबिद नूर खां ने मेरे को जबरदस्ती फंसा रहा है जिस पर परिवादी ने बताया कि ये मोहम्मद सलीम जी नगर परिषद कार्यालय, टोंक में बाबू का काम करते है, तथा दिनांक 10.02.2023 को भी श्रीमती अनिता खीचड़ ने रिश्वत की राशि सलीम को देने के लिए कहा था तथा आज दिनांक 17.02.2023 को सलीम जी ने मेरे साथ नगर परिषद कार्यालय से मेरी कार में बैठकर हायर सैकण्डरी चोराहा, टोंक पर स्थित सरस डेयरी पर गया था जहां पर ओमदेव नागर भी आ गया जो सलीम के कहने पर मेरी कार के पिछे-पिछे जाकर मेरी कार को रूकवाकर मेरे को एक अखबार देकर उसमें एक लाख

Suresh

रूपये लपेटकर देने के लिए कहा था जिस पर मैने एक लाख रूपये ओमदेव नागर को दिये थे, जो आपने ओमदेव नागर से बरामद कर लिये है। रिश्वत की राशि एक लाख रूपये ओमदेव नगर को देने के लिए सलीम ने ही कहा था जिस पर ओमदेव नगर ने मेरे से उक्त रिश्वत की राशि एक लाख रूपये लिये थे। तदुपरान्त विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड आवाज को आरोपी मोहम्मद सलीम को सुनाई गई तो परिवादी द्वारा बताये गये उपरोक्त कथनों की ताईद हुई। जिस पर मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लिपिक ने अपनी गलती को स्वीकार कर क्षमा मांगते हुये कहा कि मेरे से गलती हो गई। अतः श्री मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, टोंक के विरूद्ध लोक सेवक के पद पर होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों को दुरूपयोग कर परिवादी के वैध कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण प्राप्त किया जाना पाया गया है। श्री मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, टोंक को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 17.02.2023 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, टोंक ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री मौहम्मद ईशाक जाति मुसलमान बिस्ती उम्र 59 साल निवासी मकान नं0 21 सिविल लाईन नई कोलोनी, गड्डा पहाड़िया पुलिस थाना कोतवाली जिला टोंक हाल कनिष्ठ लिपिक नगर परिषद जिला टोंक द्वारा अन्य आरोपीगण श्रीमती अनिता खीचड़, आयुक्त व ओमदेव नागर से आपस में मिलीभगत कर लोक सेवक के पद पर होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों को दुरूपयोग कर परिवादी श्री आबिद नूर खां की फर्म एन.के. फिल्म्स एण्ड इवेन्टस कम्पनी को बनास महोत्सव टोंक में किये गये कार्य का कुल रूपये 9.60 लाख का पूर्व में किये जा चुके भुगतान एवं टोडारायसिंह एवं बिसलपुर डेम पर एक दिवसीय बनास महोत्सव में किये गये कार्य का बिल 1.90 लाख रूपये के बिल तैयार कर भुगतान करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.02.2023 को अनिता खीचड़ द्वारा एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में दिनांक 17.02.2023 को परिवादी से श्री मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लिपिक द्वारा सफाई कर्मचारी ओमदेव नागर से मिलीभगत कर रिश्वती राशी 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये मात्र) स्वयं के लिए व श्रीमती अनिता खीचड़, आयुक्त के लिए आरोपी श्री ओमदेव नागर को दिलवाना जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भा.द.स. प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने पर आरोपी मोहम्मद सलीम को उक्त धाराओं में नियमानुसार पृथक से जरिये फर्द गिरफतार किया गया।

आरोपी श्री ओमदेव नागर से रिश्वत राशि एक लाख रूपयों के बारे में पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि मैने आबिद नूर खां से रूपये नही लिये, मेरे को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है तथा आबिद नूर खां ने जबरदस्ती मेरे को ये रूपये दिये है, मैने इससे रूपये नही मांगे है। जिस पर परिवादी आबिद नूर खां ने बताया कि आज मै और सलीम जी हायर सैकण्डरी चोराहा, टोंक पर स्थित सरस डेयरी पर बैठे थे तभी वहां पर ओमदेव नागर आया जिसको सलीम जी ने रिश्वत के रूपये देने के लिए कहा था तो सलीम के कहने पर ओमदेव नागर मेरी कार के पिछे-पिछे जाकर मेरी कार को रूकवाकर मेरे को एक अखबार देकर उसमें एक लाख रूपये लपेटकर देने के लिए कहा तो मैने उक्त राशि ओमदेव नागर को दिये थे। तदुपरान्त विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड आवाज को आरोपी मोहम्मद ओमदेव नागर को सुनाई गई तो परिवादी द्वारा बताये गये उपरोक्त कथनों की ताईद हुई। जिस पर ओमदेव नागर, सफाई कर्मचारी ने अपनी गलती को स्वीकार कर क्षमा मांगते हुये कहा कि मेरे से गलती हो गई। अतः श्री ओमदेव नागर, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध लोक सेवक के पद पर होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों को दुरूपयोग कर परिवादी के वैध कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण प्राप्त किया जाना पाया गया है। आरोपी श्री ओमदेव नागर, सफाई कर्मचारी नगर परिषद, टोंक को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 17.02.2023 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर श्री ओमदेव नागर, सफाई कर्मचारी, नगर परिषद, टोंक ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री ओमदेव पुत्र श्री मदनलाल नागर जाति धाकड़ उम्र 37 साल निवासी ग्राम विजयनगर पोस्ट रानीपुरा तहसील नगर फोर्ट जिला टोंक हाल सफाई कर्मचारी, नगर परिषद टोंक द्वारा अन्य आरोपीगण श्रीमती अनिता खीचड़, आयुक्त व ओमदेव नागर से आपस में मिलीभगत कर लोक सेवक के पद पर होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों को दुरूपयोग कर परिवादी श्री आबिद नूर खां की फर्म एन.के. फिल्म्स एण्ड इवेन्टस कम्पनी

Suresh

को बनास महोत्सव टोंक में किये गये कार्य का कुल रूपये 9.60 लाख का पूर्व में किये जा चुके भुगतान एवं टोडारायसिंह एवं बिसलपुर डेम पर एक दिवसीय बनास महोत्सव में किये गये कार्य का बिल 1.90 लाख रूपये के बिल तैयार कर भुगतान करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 10.02.2023 को अनिता खीचड़ द्वारा एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में दिनांक 17.02.2023 को परिवादी से श्री मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लिपिक के कहे अनुसार रिश्वती राशी 1,00,000 रूपये (एक लाख रूपये मात्र) स्वयं के लिए व श्रीमती अनिता खीचड़, आयुक्त व मोहम्मद सलीम के लिए प्राप्त करनो जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भा.द.स. प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने पर आरोपी श्री ओमदेव नागर को उपरोक्त धाराओं में नियमानुसार पृथक से जरिये फर्द गिरफतार किया गया। प्रकरण से संबंधित आर्टिकल्स, धोवन की शिशियां, बरामद शुदा रिश्वत राशि एक लाख रूपये व अन्य वजह सबूत पैकेट्स आदि को शील्ड मोहर करने में एसीबी जयपुर की सील काम में ली गई, जिसका नमूना फर्द पर अंकित किया गया। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में लिये गये विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में दिनांक 10.02.2023 को रिकॉर्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 17.02.2023 को रिश्वत राशि लेन-देन के समय रिकॉर्ड की गई वार्ताओं की वॉइस क्लिप्स का नियमानुसार फर्द वार्तारूपान्तरण व सीडीयां तैयार की गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रकरण की घटना से संबंधित घटना स्थल का नक्शा-मौका मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से 1. आरोपिया श्रीमती अनिता खीचड़, हाल आयुक्त नगर परिषद जिला टोंक, 2. आरोपी श्री मोहम्मद सलीम हाल कनिष्ठ लिपिक नगर परिषद जिला टोंक एवं 3. आरोपी श्री ओमदेव नागर हाल सफाई कर्मचारी, नगर परिषद टोंक द्वारा आपस में मिलीभगत कर लोक सेवक के पद पर होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों को दुरूपयोग कर आरोपिया श्रीमती अनिता खीचड़ द्वारा परिवादी श्री आबिद नूर खां की फर्म एन.के. फिल्म्स एण्ड इवेन्टस कम्पनी को बनास महोत्सव टोंक में किये गये कार्य का कुल रूपये 9.60 लाख का पूर्व में किये जा चुके भुगतान एवं टोडारायसिंह एवं बिसलपुर डेम पर एक दिवसीय बनास महोत्सव में किये गये कार्य का बिल 1.90 लाख रूपये के बिल तैयार कर भुगतान करने की एवज में दिनांक 10.02.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में दिनांक 17.02.2023 को श्रीमती अनिता खीचड़ द्वारा रिश्वत राशि लेन-देन के समय परिवादी आबिद नूर खां से एक लाख रूपये आरोपी मोहम्मद सलीम के मार्फत आरोपी ओमदेव नागर को दिलवाते समय मौके से आरोपी ओमदेव नागर को रंगे हाथों पकड़ा जाकर नियमानुसार आरोपी ओमदेव नागर से एक लाख रूपये रिश्वत राशि बरामद की गई। अतः आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भा.द.स. प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर 1. आरोपिया श्रीमती अनिता खीचड़ पत्नि श्री देवेन्द्र सिंह पूनिया जाति जाट उम्र 40 साल, निवासी मोहता धर्मशाला के पीछे, राजगढ पुलिस थाना राजगढ जिला चुरू हाल आयुक्त नगर परिषद जिला टोंक, 2. आरोपी श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री मौहम्मद ईशाक जाति मुसलमान बिस्ती उम्र 59 साल निवासी मकान नं0 21 सिविल लाईन नई कोलोनी, गड्डा पहाड़िया पुलिस थाना कोतवाली जिला टोंक हाल कनिष्ठ लिपिक नगर परिषद जिला टोंक एवं 3. आरोपी श्री ओमदेव पुत्र श्री मदनलाल नागर जाति धाकड़ उम्र 37 साल निवासी ग्राम विजयनगर पोस्ट रानीपुरा तहसील नगर फोर्ट जिला टोंक हाल सफाई कर्मचारी, नगर परिषद टोंक के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

Suresh

(सुरेश कुमार स्वामी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्रीमती अनिता खीचड़, आयुक्त, नगर परिषद जिला टोंक, 2. श्री मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद टोंक एवं 3. श्री ओमदेव नागर, सफाई कर्मचारी, नगर परिषद टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 43/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

18.2.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 337-41 दिनांक 18.2.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, नगर परिषद्, टोंक।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर।

18.2.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।